न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
11/2019	13/12/2019	14.11.2025

1. भुपेन्द्र आत्मज महावीर जाति मीना निवासी डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला
2. विष्णुप्रसाद आत्मज महावीर जाति मीना निवासी डडवाडा तहसील पीपल्दा

(वादीगण)

बनाम

1. महावीरप्रसाद आत्मज श्यामस्वरूप जाति मीना निवासी डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज
2. रेणु पुत्री महावीर जाति मीना निवासी डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. सरस्वती बाई पत्नि महावीर जाति मीना निवासी डडवाडा तहसील पीपल्दा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज.

(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88.89 आर.टी. एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वादीगण के पिता महावीर प्रसाद पुत्र श्री श्यामस्वरूप उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी डडवाडा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में जमाबन्दी ग्राम डडवाडा पटवार हल्का नोनेरा तहसील पीपल्दा में जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार ख0न0 231 रकबा 4.54 है0, ख0न0 239 रकबा 4.95 है०, ख0न0 242 रकवा 1.81 है०, कुल किता 3 का रकबा 11.60 है० स्थित है। महावीर प्रसाद पुत्र श्री श्यामस्वरूप उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी डडवाडा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० के हिस्से में स्थित कृषि आराजी पेतृक रूप से खाते में चली आ रही है। वाद में वर्णित कृषि आराजी मे से किसी भी खसरा नम्बर कि आराजी स्वअर्जित नहीं है बल्कि वाद में वर्णित कृर्षि आराजी से हीं होने वाले लाभ से वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के परिवार का जीवन यापन होता है जिसको वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ने आपस में प्रतिवादी कम 1 के खाते एवं हिस्से कि आराजी का बाहमी बटवारा करके वादीगण जमाबन्दी ग्राम डडवाडा पटवार हल्का नोनेरा तहसील पीपल्दा में जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के अनुसार ख०० 231 रकबा 4.84 है० ख०न० 239 रकबा 4.95 है० खन० 242 रकबा 1.81 है. कुल किला 3 का रकबा 11.60 है0 कि आराजी मे से वादीगण को बराबर–बराबर बहामी बटवारा किया हुआ है एवं प्रतिवादी कम 1 के पास भी वादीगण के बराबर का हिस्सा बनामी रूप से लिया एवं दिया हुआ है तथा अपने हिस्से को अपने पास रखकर अपना भरण–पोषण करते हऐ आ रहे है तथा इस अनुरूप ही हम वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 कषि कार्य करते हुए आ रहे है। वादीगण को उक्त अपने अपने हिस्से कि आराजी में कर्ता विलाई जमा करने क्रय विक्रय सहकारी समिति से एक खातेदार कि हैसियत से लाभ प्राप्त करने कॉपरेटिव सोसायटी से या बैंक से लॉन लेने आदी में कई सारी समस्याओं का सामना करना पडता है। उक्त आराजी एक संयुक्त हिन्दु परिवार कि कॉपार्सनरी सम्पत्ति है जो पैतृक रूप से कर्ता के नाम खातेदारी में दर्ज है लेकिन परिवार के सभी सदस्य वयस्क होने व कार–बार अलग अलग कर परिवार का भरण पोषण करने कि जिम्मेदारीया होने से उसका पूर्ण स्वामित्व एक व्यक्ति के पास नहीं माना जा सकता सम्पत्ति का स्वत्व परिवार के सभी सदस्यों अर्थात पिता, पुत्र, और पुत्र से जन्म से हित निहित हो जाता है। तो ऐसे अविभक्त परिवार कि पूरी

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

सम्पदा को उसका प्रत्येंक सदस्य अपने अपने अंश (नोशनल शेयर) के वरावर का हिस्सा बैटवारा मे प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी कम 1 के खाते मे दर्ज कृषि आराजी जो वाद में वर्णित है प्रतिवादी कम 1 को पेतृक रूप से प्राप्त हुई है। जो वंशानुगत चली आ रही है जिसका एक मात्र खातेदार प्रतिवादी कम 1 है जिसको अपने पुत्र वादीगण व प्रतिवादी कम 1 में सम्पूर्ण कृषि आराजी का बहामी बटवारा कर अलग–अलग भाग जीवन यापन के लिये वहामी (मौखिक) पारिवारिक बटवारा किया हुआ है। और उक्त बहामी वटवारे के अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। जिससे होने वाली आय से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 अपने–अपने परिवारो का पालन पोषण पृथक–पृथक रहकर करते चले आ रहे है। उक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण मीना जनजाति समुदाय के व्यक्ति है जिन पर हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम लागु नहीं होता है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पुर्व का वोल्ड हिन्दु लॉ तथा कोटा सर्कुलर एवं जनजाति समुदाय कि प्रथाए लागु होती है तथा बेटीया ससुराल जाने के बाद पिता कि सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती मात्र उपयोग उपभोग पिता के पास रहने तक कर सकती है इसलिए उक्त आराजी में प्रतिवादी कम 2 का कोई हिस्सा नहीं बनता है। क्यों कि उनकी शादी भी हो चुकी है और अपने ससुराल रहती है और खाते से उनका नाम काबिले खारीज योग्य है और सम्पुर्ण आराजी को शुरू से प्रतिवादी क्रम 1 एवं उसके पुत्रों वादीगण कम 1 ता 2 के कब्जे कास्त में रहीं है इसलिए विभाजन में उनको हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। वाद कारण दिनांक को जब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी कम 1 ने वादीगणों के घर आकर उक्त आराजी पर कृषि कार्य करके वादीगणों को भरण पोषण करने से मना किया तथा गांव के मोतबीर व्यक्तियों को समझाईश के लिए बुलाया तब भी प्रतिवादी कम 1 ने किसी कि भी बात माननें के लिए तैयार नहीं हुये। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से अर्ज है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा डिकी एवं निर्णय पारीत किया जावे। प्रतिवादीगणों के खाते एवं हिस्से कि में वर्णित आराजी जमाबंन्दी ग्राम डडवाडा पटवार हल्का नोनेरा तहसील पीपल्दा में जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार ख0न0 231 रकबा 4.54 है०, ख0न0 239 रकबा 4.95 है०, ख0न0 242 रकबा 1.81 है०. कुल किता 3 का रकबा 11.60 है० स्थित है जिसमें से प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 को 1/3, 1/3 हिस्सा कब्जे कास्त के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के बराबर–बराबर हिस्सा रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे और प्रतिवादी कम 2 का खाते से नाम खारीज किया जावे और प्रतिवादी कम 2 के नाम कोई आराजी दर्ज नहीं कि जावें तथा प्रतिवादी 1 लगायत 2 किसी भी प्रकार कि मदखलत एवं मजाहमत नंही करे वादीगणों को शान्ति पुर्वक कास्त करने दे तथा रेकार्ड कि यथा स्थिति बनायें रखें इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें।

वाद पत्र दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाब प्रस्तुत किया तथा और उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी क्रम के वारिसान कि रिपोर्ट तहसीलदार पीपल्दा से चाही गई प्रस्तुत्त वारिसान रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी क्रम 3 सरस्वतीबाई को भी पक्षकार बनाया गया और संशोधित टाईटल एवं जवाब पेश हुआ तथा दोराने वाद उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा भी हो चुका है जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। जो अग्रलिखित है। वादी एवं प्रतिवादी एक हि परिवार के सदस्य है और आपसी सहमति व समाज के मोतबीर व्यक्तियो कि आपसी समझाई से वाद में वर्णित भुमि का माननीय न्यायालय मे राजीनामा प्रस्तुत कर रहे है। उपरोक्त वाद में वाके माल

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

ग्राम डडवाडा पटवार हल्का नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. खाता नं 231 ख.नं. 4.54 रकबा ख.नं.239 रकबा 4. 95 है. व ख.नं. 242 रकबा 1.81 है कुल 3 किता का कुल रकबा 11.60 है. जो प्रतिवादी कम 1 महावीर पुत्र श्यामस्वरूप के के स्वयं के खाते कि है जो हिस्से एवं खाते में राजीनामा के अनुसार प्राप्त होगी। उक्त विवादित भुमि मे वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के खाते एवं हिस्से मे 1/3–/1/3 हिस्से खातेदार रेवेन्यु रेकार्ड दर्ज कर दिया जावे अतः माननीय न्यायालय में ग्राम के मोतबीर व्यक्तियो कि समझाईश से एवं लोक अदालत कि भावना से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त रेवेन्यु वाद मे हम वादी एवं प्रतिवादीगणो कि आपसी सहमति से राजीनामा तस्दीक कर दिया जावे तथा उक्त वाद में राजीनामा के अनुसार निर्णय एवं डिकी जारी कि जावे। वादी व प्रतिवादी मीना अनुसुचित जनजाति के व्यक्ति है प्रतिवादी क्रम 2 रेणु प्रतिवादी क्रम 1 कि लडकी है जो शादीशुदा है और अपने ससुराल रहती है जिसने वक्त राजीनामा अपने पिता कि सम्पत्ति/आराजी से कोई हिस्सा नही लेना चाहती है। उक्त उनवान के प्रकरण मे राजीनामा हो जाने एवं किसी भी प्रकार का विरोध दर्ज नहीं होने से तनकीयात कायम कर निर्णित करने कि जरूरत नही है प्रकरण मे वादीगणो कि और से जो दस्तावेज पेश किये शामील पत्रावली किये गये तथा वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया तथा साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत तथा वादीगण कि और से दस्तावेज प्रदर्श किये गये जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 प्रदर्श पी 1 है जमाबन्दी सम्वत 2014 प्रदर्श पी 2 है, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2040 से 2060 प्रदर्श पी 3 है, सी.ए.डी. जमाबन्दी सम्वत प्रदर्श पी 3 है जो ग्राम डडवाडा कि है तथा उक्त पत्रावली मे उभय पक्षकारान कि और से राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिस पर गहन अध्ययन एवं मनन किया गया प्रकरण में विवादित सम्पत्ति/आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमे वादीगण का जन्म से हि हक उत्पन्न हो जाता है तथा प्रत्तिवादी क्रम 4 के द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कि है तथा राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से प्रत्येक वादीगण 1/3–1/3 एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 3 समान रूप से 1/3–1/3 हिस्से के बराबर–बराबर के खातेदार कृषक है। प्रकरण को गुणावगुण एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया प्रकरण में विवादित आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 3 में 1/3–1/3 हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः वादीगण का वाद स्वीकार होने योग्य है।

अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 21.04.2025 को राजीनामा हो चुका है। जो शामिल पत्रावली है। उक्त राजीनामा को प्रतिवादी कम 1 के खातदारी ख0नं0 231, 239, 242 ग्राम डडवाडा को वादी कम 1 के हि0 1/3, वादी क्रम 2 हि0 1/3 एवं प्रतिवादी कम 1 के हि0 1/3 देना तय किया गया है। प्रतिवादी सं0 2 ने कोई हिस्सा नहीं लिया है एवं प्रतिवादी कम 3, प्रतिवादी क्रम 1 की पत्नि होने से पति के परिवार की सदस्या होने के कारण पृथक से हिस्सा नहीं दिया गया है। अतः ग्राम डडवाडा के ख0नं0 ख0न0 231 रकबा 4. 54 है0, ख0न0 239 रकबा 4.95 है०, ख0न0 242 रकबा 1.81 है०, कुल किता 3 का रकबा 11.60 है० कुल रकबा पर भूपेन्द्र पुत्र महावीर जाति मीना को हि0 1/3, विष्णु प्रसाद पुत्र महावीर मीना को हि0 1/3, महावीर पुत्र श्याम स्वरूप जाति मीना को हि0 1/3 का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिकी जारी हो । निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
11/2019	13/12/2019	14.11.2025

1. भूपेन्द्र आत्मज महावीर जाति मीना निवासी डडवाडा तहसील पीपल्दा
2. विष्णुप्रसाद आत्मज महावीर जाति मीना निवासी डडवाडा तहसील पीपल्दा

(वादीगण)

बनाम

महावीरप्रसाद आत्मज श्यामस्वरूप जाति मीना निवासी डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज

रेणु पुत्री महावीर जाति मीना निवासी डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

सरस्वती बाई पत्नि महावीर जाति मीना निवासी डडवाडा तहसील पीपल्दा

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज.

(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88.89 आर.टी. एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री सत्यनारायण मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम डडवाडा के ख0नं0 ख0न0 231 रकबा 4.54 है0, ख0न0 239 रकबा 4.95 है०, ख0न0 242 रकबा 1.81 है०, कुल किता 3 का रकबा 11.60 है० कुल रकबा पर भूपेन्द्र पुत्र महावीर जाति मीना को हि0 1/3, विष्णु प्रसाद पुत्र महावीर मीना को हि0 1/3, महावीर पुत्र श्याम स्वरूप जाति मीना को हि0 1/3 का खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 14.11.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा